200 से अधिक बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर मुस्लिम समुदाय को नागरिकता संशोधन कानून पर जागरूक करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) अभियान चलाएगा। आयोजन में उस शहर के आम लोगों के साथ ही प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरुओं, समाजसेवियों व राजनीतिज्ञों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

कांग्रेस शासित सभी राज्य सीएए वापस लेने का प्रस्ताव करेंगे पारित

तेज होगा विरोध ▶ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी प्रस्ताव पारित करने की तैयारी

सिब्बल के बयान को पार्टी ने उनकी निजी राय करार दिया

संजय मिश्र, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पार्टी के विरोध को और तेज करने के लिए पंजाब के बाद सभी कांग्रेस शासित राज्य सीएए वापस लेने का प्रस्ताव पारित करेंगे। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि जल्द ही पंजाब के नक्शे कदम पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं से भी सीएए को रद करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सीएए के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पार्टी शासित राज्यों की विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा कांग्रेस केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाना चाहती है।

कांग्रेस सीएए के खिलाफ राज्यों की विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा न केवल इसके विरोध को तेज करना चाहती है, बल्कि इसकी वैधानिकता को भी सवालों के दायरे में लाना चाहती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो दिन पहले ही सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया, जिसमें इसे भेदभावकारी बताते हुए केंद्र से इस कानून को रद करने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के रणनीतिकार और पार्टी कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने रविवार को साफ कहा कि पंजाब के बाद दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में भी सीएए को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।

पटेल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का स्पष्ट तौर पर नाम भी लिया। वैसे भी मध्य प्रदेश में सीएए के खिलाफ कांग्रेस के विरोध की मुखर कमान खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने थाम रखी है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल भी उनसे पीछे नहीं हैं। जबकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत तो सीएए के खिलाफ कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति के प्रमुख सूत्रधारों में ही शामिल हैं। सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने की शुरुआत वामदल शासित केरल ने की थी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सीएए को रद करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करने के बाद सभी विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ऐसा ही करने का अनुरोध किया था।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से 13 जनवरी को बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में भी वामदलों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित किए जाने पर जोर दिया था। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं का तर्क है कि सीएए के खिलाफ विधानसभा के प्रस्ताव की गंभीरता की अनदेखी नहीं की जा सकती। खासकर तब जब 10-12 राज्यों की विधानसभाओं से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। सीएए को रद करने के खिलाफ 60 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें केरल सरकार की याचिका भी शामिल है। ऐसे में विधानसभा से पारित प्रस्तावों की अनदेखी आसान नहीं होगी। कांग्रेस शासित प्रदेशों के अलावा पार्टी की कोशिश उन राज्यों से भी प्रस्ताव पारित कराने पर है जहां वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है। इसमें झारखंड सबसे अहम राज्य है और विपक्षी नेता इसके लिए झामुमो नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए ऐसा करना कुछ जटिल काम है, क्योंकि शिवसेना इसके लिए राजी होगी, इसमें अभी संदेह है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने कहा है, सीएए लागू करने से इन्कार नहीं कर सकते राज्य

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है कि वर्तमान हालत में चाहे राज्य सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें मगर इसे लागू करने से इन्कार नहीं कर सकते। सिब्बल के अनुसार, राज्यों के लिए इस कानून को लागू करना उनकी संवैधानिक बाध्यता है। कांग्रेस ने रविवार को सिब्बल के इस बयान को उनकी निजी राय करार दिया और कहा कि राज्यों ने अगर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है तो सर्वोच्च अदालत का निर्णय आने तक उसे लागू नहीं करने का अख्तियार रखते हैं।

लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत : मनमोहन

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने सीएए के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच कहा कि भारत में लोकतंत्र की उदार संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। संविधान की रक्षा के लिए इन पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं ने हाल ही में देश को अहसास कराया है कि प्रबुद्ध नागरिकों की हिफाजत में देश की आजादी सुरक्षित है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार की किताब 'ह्यूमन डिगनिटी-ए परपज इन परपेट्यूटी' के विमोचन पर मनमोहन सिंह ने कहा कि जब भी मूलभूत स्वतंत्रता के लिए खतरा महसूस हुआ है हमारे उदार और उदारवादी लोकतंत्र को कई अवसरों पर परीक्षा देनी पड़ी है। वर्षों से इन संस्थाओं को पोषित किया गया है। इन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। संविधान को बचाने के लिए हम सब को और आग्रह करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून के तहत समानता के आधार पर अगर नागरिक रहेंगे तभी हमारे जीवन में स्वतंत्रता के विचार को आकार दिया जा सकता है।

मनमोहन सिंह ने ऐसे समय में यह वक्तव्य दिया है जब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है और केरल सरकार ने नए कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर किताब के लेखक और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा कि अनंतकाल तक हमारा मकसद मानव सम्मान होना चाहिए।

सीएए और एनआरसी भारत का आंतरिक मामला : शेख हसीना

▶ बांग्लादेश की पीएम ने कहा, इस कानून की जरूरत क्या थी

दुबई, प्रेट्र : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को भारत का अंदरूनी मामला बताया है। उन्होंने इसके साथ ही कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत में इस कानून की जरूरत क्या थी? सीएए के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबूधाबी में गल्फ न्यूज को दिए साक्षात्कार में हसीना ने कहा, मुझे अब भी यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने यह क्यों किया? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हसीना का बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन के उस बयान के कई सप्ताह बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं, लेकिन अगर इसको लेकर भारत में किसी तरह की अनिश्चितता का माहौल बनता है तो उससे पड़ोसी देशों पर भी असर पड़ेगा। बांग्लादेश की 16 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 10.7 फीसद हिंदू जबकि महज 0.6 फीसद बौद्ध हैं।

बांग्लादेश की पीएम ने इस बात से साफ इन्कार किया कि उनके देश से धार्मिक उत्पीड़न के चलते अल्पसंख्यक समुदायों ने भारत पलायन किया है। उन्होंने इन्हीं वजहों से किसी अन्य देश के नागरिकों के बांग्लादेश आने की बातों को भी नकारा। हसीना ने कहा, बांग्लादेश ने हमेशा से कहा है कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं। भारत सरकार ने भी यही बात दोहराई है। अक्टूबर, 2019 में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह आश्वासन दिया था। बांग्लादेश और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रगाढ़ संबंध हैं।

असम में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 30 अगस्त को प्रकाशित अंतिम एनआरसी से 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की फाइल फोटो। रायटर

न्यूज गैलरी

'बंगाल से एक करोड़ घुसपैठियों को भेजा जाएगा बांग्लादेश'

बैरकपुर : बंगाल में एनआरसी लागू करने को लेकर पार्टी दृढ़ संकल्पित है। इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। बंगाल में रह रहे एक करोड़ अवैध शरणार्थियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। उक्त बातें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कही। वह रविवार को बैरकपुर में अभिनंदन यात्रा को संबोधित कर रहे थे। यह यात्रा दिलीप के नेतृत्व में निकली थी। दिलीप ने कहा, सालों से यहां शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन वे देश के नागरिक नहीं हो पाए हैं। महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस, वाममोर्चा के नेताओं ने उन्हें नागरिकता देने की बात कही थी, लेकिन उन्हें नागरिकता नही मिली। ऐसे लोगों से भाजपा ने नागरिकता देने का वादा किया था। सत्ता में आने पर हम यह जरूर करेंगे। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए के विरोध में मध्यमग्राम से बारासात तक पांच किमी पदयात्रा की थी। भाजपा के इस अभिनंदन यात्रा को उस पदयात्रा का जवाब माना जा रहा है। (जासं)

जिनके मन में पाप, उन्हें सीएए नहीं आ रहा पसंद : जैन मुनि

ग्वालियर : इंदौर से दिल्ली पदविहार कर रहे आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को अच्छा और देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने कहा, जिनके मन में पाप, विकृति, अत्याचार है, उनको सीएए पसंद नहीं आ रहा है। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने ग्वालियर प्रवास के दौरान जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से विशेष बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा की। कहा, उनके कार्य करने तरीके और दूरदर्शिता प्रशंसनीय है। सीएए के विरोध के सवाल पर कहा कि जिन्होंने समझा नहीं उनके लिए यह गलत है। यह देश के लिए जरूरी कानून है। (नईदुनिया)

'राज्यों के पास है केंद्र को चुनौती देने का अधिकार'

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने को लेकर चल रही बहस के बीच कांग्रेस ने कहा है कि राज्यों के पास केंद्र सरकार को चुनौती देने का अधिकार है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस असंवैधानिक कानून को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सीएए संविधान पर हमला है और लोगों का कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहना चाहिए। (प्रेट्र)

शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने के लिए विहिप चलाएगा अभियान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ कहा, नागरिकता दिलाने के लिए देश भर में व्यापक अभियान चलाया जाएगा

▶ अनुच्छेद-370 व राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार को साधु-संतों का साधुवाद

बंगाल, केरल और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के जोरदार विरोध के बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कहा है कि वह सभी शरणार्थियों को नागरिकता दिला कर रहेगी। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोई वंचित न रह जाए।

कांस्टीट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय संत समिति द्वारा आयोजित आशीर्वाद सभा में अनुच्छेद 370 हटाने, सीएए लागू करने व सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर विवाद का निपटारा होने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को साधुवाद दिया गया। देशभर से मठों, मंदिरों, आश्रमों और अखाड़ों से जुटे साधु-संतों के बीच संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जीतेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके रहते राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा। अनुच्छेद 370 हट जाएगा।

सीएए के विरोध को सियासी बताते हुए विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन शरणार्थियों की पूरी मदद करेंगे। उनके कागज दुरुस्त कराएंगे। पंजीकरण कराएंगे।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह बात मुस्लिम समुदाय को समझ आने लगी है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि नागरिकता के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन हो। ताकि विपक्षी राज्य सरकारों द्वारा इस कानून को लागू करने से मना करने के बाद भी उन्हें नागरिकता मिले। सभा को महंत ज्ञानदेव सिंह, आचार्य अविचल दास, सुरेंद्रनाथ अवधूत, बलराम दास हठयोगी, नवल किशोर दास, अनुभूतांनद, यतींद्रनंद गिरी, ज्ञानदेव महाराज, कृष्णानंद व नामधारी संत अरविंद सिंह समेत अन्य संतों ने भी संबोधित किया।

सीएए को वामपंथी छात्र संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में एसएफआइ ने सीएए को भेदभाव की प्रवृत्ति वाला और भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है।

एसएफआइ ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सीएए को भारतीय संविधान का उल्लंघन घोषित करने की मांग की है। उसने आरोप लगाया है कि सिर्फ एक तय धार्मिक समूह को वरीयता देना भारत की संवैधानिक योजना नहीं हो सकती। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (कानूनी समानता) के तहत उचित और मान्य वर्गीकरण नहीं हो सकता। याचिका में संविधान का उल्लंघन बताते हुए द पासपोर्ट एक्ट-1920 और द फॉरेन एक्ट-1946 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की भी मांग की गई है।

याचिका के अनुसार, 'एसएफआइ के सदस्य सीएए-2019 लागू किए जाने से व्यथित हैं। यह भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ है।'

छह वर्षों में 2838 पाकिस्तानियों को मिली है भारतीय नागरिकता : निर्मला

चेन्नई, एजेंसियां : देशभर में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून 2019 (सीएए) के विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले छह वर्षों में पाकिस्तान के 2,838 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। इस दौरान मुसलमानों सहित 914 अफगानी शरणार्थियों, 172 बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी भारतीय नागरिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सीएए को राज्यों में लागू न करने की बात असंवैधानिक है। यह सभी राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि संसद में पारित कानून पर अमल हो।

रविवार को यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची वित्त मंत्री ने बताया कि साल 1964 से 2008 तक श्रीलंका से आए चार लाख से अधिक तमिलों को भारतीय नागरिकता दी गई है। वह यहां नागरिकता संशोधन कानून पर हो रहे एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि साल 2014 तक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 566 से अधिक मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। मोदी सरकार के तहत 2016-18 के दौरान, लगभग 1,595 पाकिस्तानी प्रवासियों और 391 अफगानी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। वित्तमंत्री ने आगे कहा कि साल 2016 में भी इसी अवधि के दौरान, पाकिस्तानी गायक अदनान सामी और बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारतीय नागरिकता दी गई थी, जो कि यह एक उदाहरण है। सीतारमण ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को देश के विभिन्न शिविरों में बसाया गया है। वे अभी भी वहां हैं और इस बात को अब 50-60 साल हो गए हैं। यदि आप इन शिविरों का दौरा करेंगे, तो आपका दिल पसीज जाएगा।

निर्मला सीतारमण। फाइल

श्रीलंका के शरणार्थियों की स्थिति भी उसी तरह की है, जो अभी भी शिविरों में रह रहे हैं। उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसी की नागरिकता छीन नहीं रही है। नागरिकता संशोधन कानून लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने की एक कोशिश है। हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं, हम केवल उन्हें ही प्रदान कर रहे हैं।

सीएए का विरोध असंवैधानिक : सीतारमण ने चेन्नई सिटिजन फोरम की ओर से आयोजित समारोह में एक सवाल के जवाब में कहा कि सीएए का विरोध असंवैधानिक है। केरल और कुछ राज्यों ने सीएए को लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एक राज्य की विधानसभा सीएए लागू नहीं करने का प्रस्ताव तो पास कर सकती है। यह उनका राजनीतिक वक्तव्य है। लेकिन इससे आगे बढ़कर वह कुछ नहीं कर सकते हैं। केरल के अलावा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने भी इसे लागू करने से इन्कार किया है।

सीएए के समर्थन में निकाली रैलियां, मप्र में हंगामा

नईदुनिया, ब्यावरा/राजगढ़

▶ कलेक्टर ने भाजपा नेता को मारा थप्पड़

▶ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में निकाली गई थी रैली

▶ जिला प्रशासन ने रैली रोकने के लिए लगाई थी धारा 144

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रविवार को भी लोग सड़कों पर उतरे। राजगढ़ (मध्यप्रदेश) के ब्यावरा में रैली में जमकर हंगामा हुआ। बहस के दौरान कलेक्टर निधि निवेदिता ने एक भाजपा नेता को चांटा मार दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस कार्रवाई में दो लोगों के सिर फूट गए।

सीएए के समर्थन में आयोजित इस रैली को रोकने के लिए कलेक्टर ने निषेधाज्ञा लागू कर ब्यावरा की सीमाएं सील कर दी थी, बाजार भी बंद थे। दोपहर एक बजे के बाद वंदेमातरम के नारे लगाते लोग निकले तो कलेक्टर निधि निवेदिता ने उन्हें रोकने के लिए दरवाजा बंद करना चाहा। पूर्व विधायक अमरसिंह यादव को उन्होंने पकड़ भी लिया, लेकिन वे छूटकर आगे बढ़ गए।

पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना चाहा तो बहस हुई। कलेक्टर ने भाजपा के मीडिया प्रभारी रवि बड़ोने को चांटा मार दिया। पुलिस ने लाठियां भांजकर खदेड़ना शुरू किया। इस दौरान दो लोगों के सिर फूट गए। इस बीच डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा भी लोगों को पकड़ने भीड़ में घुस गईं। आरोप है कि एक युवक ने उनसे अभद्रता की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। विरोध में थाने के सामने आधा घंटे तक धरना दिया गया। भाजपा ने प्रशासन पर जहां माहौल बिगाड़ने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है, वहीं कलेक्टर निधि निवेदिता ने कहा कि बगैर अनुमति के रैली निकालने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने महिला अधिकारी के साथ भी अभद्रता की है। वीडियो से आरोपितों की पहचान की जा रही है।

पंजाब के खन्ना में सीएए के समर्थन रैली में पाकिस्तान से आए पूर्व विधायक बलदेव कुमार ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। राष्ट्रीय विचार मंच की इस रैली में विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हाथों में कानून के पक्ष में तख्तियां भी उठा रखी थी। साइबर सिटी गुरुग्राम में हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरपर्सन गार्गी कक्कड़ ने रैली निकालकर कर लोगों को सीएए के संबंध में जानकारी दी।

इस दौरान पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मवीर गाबा ने भी सीएए को समर्थन दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसके समर्थन में रैली निकाली गई। एक गोष्ठी भी आयोजित हुई, जिसमें वक्ताओं ने राजनीतिक दलों से इसका मानवता और राष्ट्रहित के लिए समर्थन करने का आह्वान किया।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सीएए की रैली में भाजपा मीडिया प्रभारी रवि बड़ोने और कलेक्टर निधि निवेदिता में तीखी बहस हो गई। नईदुनिया

> हमने रैली की अनुमति नहीं दी थी। धारा 144 लगाई थी। जो अराजक व तत्व अपनी बात मनवाना चाहते थे, वे यहां आए थे। रैली निकालने के लिए कोशिश करते रहे। तभी पूर्व विधायक वहां पहुंचे। लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हमारी महिला अधिकारी के साथ भी अभद्रता की है। वीडियो से आरोपितों की पहचान की जा रही है।
>
> **-निधि निवेदिता, कलेक्टर, राजगढ़**

'मुसलमानों से नागरिकता साबित करने के कागज मांगे जाएंगे'

कोझिकोड, एएनआइ

▶ बोले शशि थरूर, विरोध-प्रदर्शन बंद हो जाएंगे अगर मोदी और शाह आश्वासन दें कि एनआरसी का विचार छोड़ देंगे

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि मुसलमानों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजी सुबूत मांगे जाएंगे। नए नागरिक कानून के खिलाफ देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शन बंद हो जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यह आश्वासन दें कि एनआरसी का विचार छोड़ देंगे। और घर-घर जाकर मां-बाप का कहां पैदा हुए थे, इसका दस्तावेजी सुबूत नहीं मांगेंगे।

केरल के लिट्रेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के दौरान भी मुसलमानों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहे जाएंगे। गृह मंत्री ने साफ तौर पर सीएए और एनआरसी को बांध दिया है। सीएए में कहा गया है कि अगर आप साबित कर देंगे कि आप इन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) से हैं तो आपकी नागरिकता को फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। थरूर ने दोनों मुद्दों का घालमेल करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय से दस्तावेज मांगे जाएंगे। 65 फीसद भारतीय के पास उनके जन्म प्रमाणपत्र नहीं हैं।

अगर हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्धों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं होगा तो उन्हें किसी और बात के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। जबकि बिना दस्तावेज वाले मुसलमानों से पूछा जाएगा कि हम कैसे मान लें कि आप पाकिस्तान से नहीं हैं। उनसे यह साबित करने को कहा जाएगा कि वह यहीं जन्मे थे।

तिरुअनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि पीएम को यह आश्वासन देना चाहिए कि आपके नामों के खिलाफ संदिग्ध नागरिकता लिखने के अधिकार वह अधिकारियों को नहीं देंगे। लेकिन मोदी और शाह यह सभी आश्वासन देने को तैयार नहीं हैं। इससे उनके इरादों का पता चलता है। वह भारत में रह रहे लोगों की पहचान करना चाहते हैं।

केरल के राज्यपाल बोले, मूकदर्शक नहीं बना रहूंगा

▶ आरिफ मुहम्मद खान ने कहा-हर हाल में कानून का पालन सुनिश्चित करेंगे

▶ राज्यपाल ने राज्य सरकार से बिना बताए सुप्रीम कोर्ट जाने पर रिपोर्ट तलब की

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून पर केरल में वाम मोर्चा की सरकार से मोर्चा ले रहे राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में 'मूक दर्शक' नहीं बने रहेंगे। वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि देश के कानून का पालन हो।

बेंगलुरु से लौटने पर रविवार की शाम को केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने कहा कि संविधान का पालन होना ही है। यह कोई निजी लड़ाई नहीं है। संविधान का पालन हो कर रहेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए मैं मूक दर्शक नहीं बना रहूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर प्रहार करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मामले और सरकार के कामकाज को किसी व्यक्ति और राजनीतिक दल के जुनून पर नहीं चलाया जा सकता है। हर किसी को नियमों का आदर करना चाहिए।

इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके राज्यपाल ने कहा कि इसके साथ ही राजभवन ने राज्यपाल को बताए बिना केरल सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है।

उल्लेखनीय है कि केरल पहला राज्य है जिसने सीएए का विरोध करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। केरल की एलडीएफ सरकार ने विगत 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चुनौती देते हुए इसे संविधान का उल्लंघन करार देने की अपील की थी। कामकाज के नियम की धारा 34(2) की उपधारा 5 के तहत राज्य सरकार को राज्यपाल को उन मामलों की सूचना देनी चाहिए जो राज्य और केंद्र के संबंधों को प्रभावित करते हैं। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि उन्होंने राज्यपाल के दफ्तर को कोई चुनौती नहीं दी है।

आरिफ मुहम्मद के बयान का महत्व नहीं : तारिक अनवर

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी सीएए पर कपिल सिब्बल के बयान को संवैधानिक रूप से सही बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल एक विद्वान वकील हैं और उन्हें संविधान की अच्छी जानकारी है। लेकिन यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वह इस मामले के सभी पहलुओं को देखने के बाद ही कोई फैसला देगा। तारिक अनवर ने केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान के उस बयान पर भी अपनी राय दी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि संसद में पारित हो जाने के बाद राज्यों के पास सीएए का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरिफ मुहम्मद खान भाजपा के नेता हैं। इसलिए उनके बयान का कोई खास महत्व नहीं है।

'सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया तो विरोध असंवैधानिक' : इससे पहले, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को ट्वीट करके दोहराया कि कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि वह नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करेगा। हालांकि इसकी वजह पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे संवैधानिक घोषित कर देता है तो इसका विरोध करना असंवैधानिक कहलाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने विगत शनिवार को कोझिकोड में आयोजित केरल लिट्रेचर फेस्ट में कहा था कि राज्य सरकारें संसद में पारित कानून के खिलाफ नहीं जा सकती हैं।

कश्मीरी पंडितों के लिए मांगा समर्थन

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

कश्मीरी पंडितों की बात रखते हुए सतीश महालदार ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि आप हमारे लिए आगे आएं। हम पिछले 30 सालों से अपने ही देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे घर हमसे छीन लिए गए हैं। पहले हमें हमारी जमीन वापस दिलाई जाए। वहीं आशीष पंडित ने कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं इस बात पर किसी को शक नहीं है, लेकिन हम भी हिंदुस्तानी हैं और हमें हमारी ही जमीन से बेदखल किया गया है। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया है उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सीएए का विरोध करने पर आपस में ही हुआ मतभेद : सतीश महालदार ने मंच से सीएए को लेकर सवाल खड़े किए तो प्रतिनिधिमंडल के साथ ही आईं मोनिका पंडित ने उनका विरोध किया। मोनिका ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हैं। साथ ही कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार के दिन किसी भी जश्न के कार्यक्रम का विरोध करते हैं।

शाहीन बाग में जश्न ए शाहीन का विरोध करने पहुंचे कश्मीरी पंडित। जागरण